भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 126
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की नियुक्ति

126. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार का न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में आने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों पर सम्यक रूप से विचार किया जाए, जिससे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों मे न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, सरकार केवल ऐसे व्यक्तियों को ही नियुक्त करेगी जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई है ।
(ख) : वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्व का उपबंध करने के लिए संविधान में संशोधन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नही है ।

****